

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 15

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 07 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल कॉलम संख्या 09 के अनुसार, कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है।

| क्र.स | नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि/राबारमावि) | विषय        | जन्मतिथि   | प्रथम नियुक्ति तिथि | व्याप्त पद पर कार्यग्रहण एवं चयन का प्रकार | स्वीकृत एसीपी I.P.III | वेतन ग्रेड | स्वीकृत ग्रेड वेतन | स्वीकृत तिथि |
|-------|---|-------------|------------|---------------------|--|-----------------------|------------|--------------------|--------------|
| 1     | 2   | 3           | 4          | 5                   | 6  | 7                     | 8          | 9                  | 10           |
| 1     | Anil Kumar.<br>GSSS Mirjewala, Sri Ganganagar     | जीव विज्ञान | 23.07.1965 | 02.07.1990          | डीपीसी                                     | 30 वर्षीय             | -          | पी.एम.<br>एल-14    | 02.07.2020   |
| 2     | Narendra Singh Chouhan.<br>Shri Bangur GSSS. Pali | जीव विज्ञान | 16.06.1962 | 02.07.1990          | तदर्थ                                      | 30 वर्षीय             | -          | पी.एम.<br>एल-14    | 02.07.2020   |

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याताओं की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। आरवीआरईएस कार्मिकों को निर्देशानुसार दिनांक:01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है।

(सौरम स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक : 29/10/2020

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/एसीपी/2019-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य
- 4 संबंधित कार्मिक
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर